

जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री शरद कोचर पुत्र श्री रमन कोचर, प्लॉट नम्बर 25 (एम.एल. नम्बर 25/2020), क्षेत्रफल 4.95 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,22,121 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना [प्लॉट नम्बर 25 (एम.एल. नम्बर 25/2020), प्लॉट नम्बर 61, प्लॉट नम्बर 26, प्लॉट नम्बर 30 एम.एल. नम्बर 41/2019, एम.एल. नम्बर 30/2022, प्लॉट नम्बर 27, प्लॉट नम्बर 29] कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.8712 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-22,26,834 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, बजरी के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, जिला-बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में दिनांक 08.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 02.05.2026 को समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' एवं 'दैनिक कामयाब कलम' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


उपखण्ड नजिस्ट्रेट
कोलायत
जिला-बीकानेर

दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री शरद कोचर पुत्र श्री रमन कोचर** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एन्वायरोटेक"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एन्वायरोटेक"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील—कोलायत, जिला—बीकानेर में अप्रधान खनिज— बॉल क्ले, बजरी के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका प्लॉट नम्बर 25 (एम.एल. नम्बर 25/2020), कुल खनन क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 3,22,121 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.8712 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता— 22,26,834 टी.पी.ए.(रोम)} होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए अवगत करवाया कि पर्यावरणीय जनसुनवाई करवाने का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना की जानकारी, प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, रोजगार, श्रमिकों की सुरक्षा, वृक्षारोपण आमजन को देना होता है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि सरकार का कार्य आमजन को सुरक्षा एवं उनकी दिक्कतों को दूर करना है परन्तु इस हेतु स्थानीय निवासियों को भी सजग होना पड़ेगा। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को यह भी अवगत करवाया कि सबके सहयोग से कार्य करने पर ही क्षेत्र के विकास संभव है साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने का पुनः निवेदन किया गया।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


उपखण्ड अधिकारी
जिला—कोलायत

श्री ऋछपाल, निवासी गंगापुरा द्वारा आक्षेप लगाया गया कि खनन इकाई के चारो तरफ तारबंदी नहीं किये जाने के कारण आवारा पशु पानी की तलाश में उसमें गिर कर कीचड़ में फस के काल का ग्रास बन रहे है। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि हमारा ध्येय यह होना चाहिये हर जीव के लिये पानी की व्यवस्था करें जिससे की उन्हें भटकना ना पड़े।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान कोई लिखित आक्षेप/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।


(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)


(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी कोलायत
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर
कोलायत
जिला-बीकानेर

उपस्थिति पत्रिका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री शरद कोचर पुत्र श्री रमन कोचर, प्लॉट नम्बर 25 (एम.एल. नम्बर 25/2020), क्षेत्रफल 4.95 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,22,121 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {प्लॉट नम्बर 25 (एम. एल. नम्बर 25/2020), प्लॉट नम्बर 61, प्लॉट नम्बर 26, प्लॉट नम्बर 30 एम.एल. नम्बर 41/2019, एम.एल. नम्बर 30/2022, प्लॉट नम्बर 27, प्लॉट नम्बर 29} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.8712 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-22,26,834 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, बंजरी के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.06.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर

दिनांक:-08.06.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.सं.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार नार	SDO, कोलायत	
2.	रामेश्वर		
3	राजेश कुमार	R.O. RSDO, Bikaner	
	गंगापुरा	जीवासी गंगापुरा	गंगापुरा
	दुर्गेश्वर	जीवासी गंगापुरा	दुर्गेश्वर
	दुर्गेश्वर	1 बीकानेर	
	किशोरेश्वर	कोलायत	किशोरेश्वर
	नरेश्वर	बीकानेर	नरेश्वर
	नरेश्वर	कोलायत	नरेश्वर
	नरेश्वर	गंगापुरा	नरेश्वर
	नरेश्वर	गंगापुरा	नरेश्वर
	नरेश्वर	गंगापुरा	नरेश्वर

उपस्थिति पजिका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री शरद कोचर पुत्र श्री रमन कोचर, प्लॉट नम्बर 25 (एम.एल. नम्बर 25/2020), क्षेत्रफल 4.95 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,22,121 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {प्लॉट नम्बर 25 (एम.एल. नम्बर 25/2020), प्लॉट नम्बर 61, प्लॉट नम्बर 26, प्लॉट नम्बर 30 एम.एल. नम्बर 41/2019, एम.एल. नम्बर 30/2022, प्लॉट नम्बर 27, प्लॉट नम्बर 29} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.8712 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-22,26,834 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, बजरी के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.06.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर

दिनांक:-08.06.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.सं.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
	का. 1231		
	शरद कोचर		शरद कोचर
	मोहम्मद	बीकानेर	Mohammed
	Sharad Kocher		Sharad Kocher
	हरीशचन्द्र शर्मा		Hrishchandra Sharma
	Sushil Keshri		Sushil Keshri
	अपारम्भ		
	जयपाल		Jai Pal
	रमन		Raman
	Megharum		Megharum
	Rakesh Kumar	Universal Envirotech Jaipur	Rakesh Kumar
	Virendra	Universal Envirotech Jaipur	Virendra